### <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क्र. 413/2004 संस्थित दिनांक—20/5/2004

#### विरुद्ध

भादूसिंह पिता कमलसिंह उम्र ४० वर्ष जाति गोण्ड साकिन चिखलाझोड़ी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)...... आरोपी

# —:: <u>निर्णय</u> ::—

### <u>(दिनांक—12 / 03 / 2015) को घोषित)</u>

- (01) आरोपी—भादूसिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए, 506बी का आरोप है कि उसने दिनांक—28.3.2004 को 11.00 बजे, ग्राम बैगाटोला चिखलाझोड़ी आरक्षी केंद्र रूपझर अंतर्गत प्रार्थीया प्रमिलाबाई के पित होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की तथा प्रार्थीया प्रमिलाबाई को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हीराबाई ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह भादूसिंह के साथ रीति रिवाज मुताबिक हुआ। विवाह के बाद से ही उसका पित भादूसिंहइ उसे मारपीट कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहता था। उसने यह बात समय—समय पर अपने मां व मामा को बताई थी। दिनांक 28.3.2004 को प्रातः 11.00 बजे भादूसिंह ने उसे

हाथ घूंसे से मारपीट की व धमकी दी कि टंगिया से काट डालूंगा। भय के कारण वह जंगल भाग गई। दिनांक 30.3.2004 को सुबह 5.00 बजे अपने मामा सुदेलाल के घर वापस आई तो पूरी घटना बताई। फरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर आरक्षी केंद्र रूपझर में अपराध कमांक 82/08, धारा—498ए, 506 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा—498ए, 506 भा.दं.वि. के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा—498ए, 506 भा.दं.वि. के तहत आरोप—पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।
- (04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने उनके विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
- (05) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
  - (अ) क्या आरोपी ने ग्राम बैगाटोला चिखलाझोड़ी में प्रार्थीया प्रमिलाबाई के पित होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की तथा प्रार्थीया प्रमिलाबाई को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

## —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

- (06) फरियादी अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि वह भादूसिंह को जानती है, वह उसका पित है। आरोपी भादूसिंह मारपीट किया था और पहले भी मारपीट करता रहा है। आरोपी दोनों तरफ के दरवाजे बंद करके घर के अंदर मारता था। आरोपी शराब पीकर आता था और मारपीट करता था और हमेशा उसे परेशान करता था। वह उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वह परेशान होकर मायके में रहने लगी। उसकी एक छोटी बच्ची है। उसने अपने मामा को उसके द्वारा पित द्वारा मारपीट करता है, बताया तो उन्होनें उसे रूपझा लाया था।
- (07) अभियोजन साक्षी सुखबती (अ.सा. 3) का कहना है कि वह उभयपक्ष को

जानती है। आरोपी ने प्रार्थीया से मारपीट किया था। आरोपी प्रमिलाबाई को शराब पीकर मारता पीटता और झगड़ा करता था।

- (08) अभियोजन साक्षी सुदेलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि वह आरोपी भादूसिंह को जानता है। फरियादी उर्मिलाबाई उसकी भांजी है। उर्मिलाबाई की शादी आरोपी के साथ हुई थी। उसे आरोपी और फरियादी के झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे उर्मिलाबाई ने कोई बात नहीं बताई थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी द्वारा उर्मिलाबाई को लात घूंसो से मारपीट कर टंगिया से काटकर जान से खत्म करने की धमकी दिया, इससे इंकार किया है।
- (09) अभियोजन साक्षी छन्नुलाल (अ.सा. 5) का कहना है कि वह उभयपक्ष को जानता है। उसे घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने बयान नहीं दिया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने भादूसिंह ने उर्मिलाबाई को लड़की होने ककी बात कसे मारपीट कर मायके पहूंचा दिया, इससे स्पष्ट इंकार किया है। यह स्वीकार किया है कि आरोपी और प्रार्थी का झगड़ा होने पर उनके घर बीच बचाव करने नहीं गया था।
- (10) अभियोजन साक्षी एवं चिकित्सक डॉ. प्रदीप गेड़ाम (अ.सा. 2) का कहना है कि दिनांक 30.3.2004 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में आरक्षक मंजु मरावी क. 17 थाना रूपझर द्वारा उर्मिलाबाई पित भादूलाल को परीक्षण हेतु लाने पर, परीक्षण में पाया कि उसके शरीर के बाहरी हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई चोट मौजूद नहीं थी। वह सामान्य स्थिति में थी एवं उसके द्वारा कमर में दर्द होने की शिकायत की गई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर है।
- (11) अभियोजन साक्षी एवं विवेचनाकर्ता उमेश तिवारी (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 30.3.2004 को थाना रूपझर में उर्मिलाबाई के गुम होने की सूचना पर गुम इंसान रिपोर्ट कमांक 11/04 की जांच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा जांच के दौरान उर्मिलाबाई, सुकरतीबाई, सुद्धेलाल के कथन उनके अनुसार लेख किया। जिसमें उर्मिलाबाई के पित भादूसिंह के द्वारा उर्मिलाबाई ने दिनांक—28.3.2004 को मारपीट

किये जाने से बिनला बताये जंगल चले जाने और दूसरे दिन अपने मामा के घर चले जाना बतायी। दिनांक 30.3.2004 को उर्मिलाबाई ने आरोपी भादूसिंह के विरूद्ध मौखिक रिपोर्ट लेख कराने पर उसके द्वारा आरोपी भादूसिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श डी—1, अपराध कमांक 82/04, धारा—498ए, 506 भा.दं.वि. लेख किया था जिस पर उसके एवं उर्मिलाबाई के हस्ताक्षर है। प्रार्थी उर्मिलाबाई को मुलाहित हेतु शासकीय अस्पताल उकवा भेजा था। प्रार्थी उर्मिलाबाई, साक्षी सुद्धेलाल, सुकरतीबाई, छन्नुलाल, उदेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 30.3.2004 को आरोपी भादूसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र पेश किया था।

- (12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वे निर्दोष है। फरियादी ने पुलिस से मिलकर उनके विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।
- (13) अारोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी फरियादिया हीरा वासुदेव (अ.सा. 2) ने अपने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका—4 में स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 में आरोपीगण ने दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित किया, ऐसा नहीं लिखाया था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 पर पुलिस के कहने पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने कंडिका—05 में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श डी—1 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था। उसने घरेलु छोटी—छोटी बात में गुस्से में आकर आरोपीगण के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी।

- (अ.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—02 में स्वीकार किया है कि कमलाबाई, हीराबाई के साथ क्या घटना कारित की उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी—01 का असे अ का बयायन पुलिस ने कैसे लिख ली उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी दीपचंद वासुदेव (अ.सा. 3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—03 में स्वीकार किया है कि उसकी बहन से आरोपीगण ने दहेज मांगा और उसके साथ मारपीट की ऐसी बात उसे कभी नहीं बताई। यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने प्रदर्श डी—2 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था।
- (17) प्रकरण में फिरयादी हीरा वासुदेव (अ.सा. 2) तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी पुष्पा खैरवार (अ.सा. 1), दीपचंद वासुदेव (अ.सा. 3), जगमोहन (अ.सा. 3) अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। आरोपी—मानिकलाल ने प्रार्थीया हीराबाई के पित के नातेदार होते हुए प्रार्थीया से मारपीट कर प्रार्थीया को शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की, यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है। (18) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी—मानिकलाल ने प्रार्थीया हीराबाई के पित के नातेदार होते हुए प्रार्थीया से मारपीट कर प्रार्थीया को शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की अभियोजन का प्रकरण
- (19) परिणाम स्वरूप आरोपी—मानिकलाल, दशरथ, श्रीमती कमलाबाई को

सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

- (20) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- (21) प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है। निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

AN CONTROL SUNTAIN